संख्या– 72 (भा0स0)/143–बीएडीपी–XXVI/2004

प्रेषक,

एल0 फैनई,,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
पिथौरागढ़/चम्पावत/चमोली/
ऊधमसिंहनगर/उत्तरकाशी।

नियोजन अनुभाग।

देहरादून: दिनांक: 06 दिसम्बर नवम्बर, 2004

विषय– बार्डर एरिया डेवलपमेन्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2004–05 में प्रथम किश्त की धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार के गृह मंत्रालय,नई दिल्ली के कार्यालय–ज्ञाप वीएम–14/UTTR/2004–BADP–295–301 दिनांक 02,सितम्बर 2004 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2004–05 के लिए आपके जनपद से संबंधित संलग्न बी0ए0 डी0पी0 की योजनाओं को स्टेट स्कीनिंग कमेटी द्वारा अनुमोदनोपरान्त जनपद –पिथौरागढ़/ चम्पावत/ चमोली/उत्तरकाशी तथा उद्यमसिंहनगर हेतु रू0 4.16 करोड़ की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति तथा इसके विपरीत रू0 2.77 करोड़ (रू0 दो करोड़ सतत्तर लाख मात्र) की धनराशि की प्रथम किश्त के रूप में आपके निर्वतन पर रखते हुए व्यय करने की भी श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तो एवं प्रतिबंध के अधीन प्रदान करते हैं:–

1– संलग्नक में उल्लिखित प्रत्येक कार्य के सम्बन्ध में योजना का अनुमोदन जिलाधिकारी से प्राप्त किया जायेगा तथा कार्य के आंगणन की तकनीकी अनुमोदन सक्षम स्तर के विभागीय अधिकारी द्वारा किया जायेगा।

2– हाईड्रम योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की जा रही धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि हाइड्रम निर्माण हेतु धनराशि तभी स्वीकृत की जाय जब सिंचाई विभाग द्वारा स्थानीय ग्राम पंचायत एवं यूजर्स ग्रुप से उसके संचालन एवं अनुरक्षण का दायित्व लेने संबंधी अंडरटेकिंग प्रस्तुत करें।

3– स्वीकृत कार्यो पर होने वाले व्यय के सम्बन्ध में वित्तीय हस्तपुस्तिका,बजट मैनुअल,स्टोर पर्चेज एवं मितव्ययता के विषय में समय–समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा निर्माण कार्यो का स्वीकृत धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व इसके आंगणन गठित कर उन पर सक्षम स्तर के अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त ही व्यय किया जायेगा।

4– किसी भी दशा में यह धनराशि आहरित कर बैंक में नहीं रखी जायेगी।

5– प्रत्येक कार्य योजना के समय का निर्धारण इस प्रकार किया जायेगा कि योजना कियान्वयन शीघ्रातिशीघ्र सुनिश्चित हो जाये तथा प्रस्तावित योजना चालू वित्तीय वर्ष में पूर्ण हो जाये।

6– प्रत्येक कार्य के लिए धन आवंटन की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी तथा धनराशि के आंवटन के व्यय विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

7– समय–समय पर निर्माण कार्यों में आपेक्षित गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निरीक्षण की व्यवस्था की जायेगी और निरीक्षण की एक प्रति मण्डलायुक्त तथा शासन को भी उपलब्ध करायी जायेगी।

8– कार्य पूर्ण पर कम्प्लीशन प्रमाण–पत्र एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र जिलाधिकारी से प्रति हस्ताक्षरित कराके शासन को उपलब्ध कराया जायेगा और यदि उक्त कार्यों पर कोई धनराशि अवशेष रहती है तो उसे शासन को समर्पित कर दी जायेगी।

9– उक्त योजनाओं पर कार्य करने में भारत सरकार द्वारा निर्गत किये गये दिशा निर्देशों का अनुपालन प्रत्येक स्थिति में सुनिश्चित किया जायेगा।

10– व्यय उन्ही योजनाओं पर ही किया जायेगा जिनके लिए आवंटन किया जा रहा है और मद परिवर्तन का अधिकार विभाग को नहीं होगा।

11– प्रश्नगत धनराशि के चालू वित्तीय वर्ष में उपयोग प्राथमिकता के आधार पर करते हुए योजनाओं का कियान्वयन सुनिश्चित कर लिया जाये। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल सम्बन्धित विभाग के जिलास्तरीय अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये तथा योजनाओं के कियान्वयन का नियमित अनुश्रवण किया जायेगा।

12– स्वीकृति की जा रही धनराशि का पूर्ण उपयोग के उपरान्त ही उक्त के विपरीत आगामी किश्त अवमुक्त की जायेगी । स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31 मार्च, 2005 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण–पत्र भारत सरकार एवं राज्य सरकार को प्रेषित कर दिया जायेगा ।

13– उक्त स्वीकृति के सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के अनुदान संख्या–07 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4515–अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों पर पूँजीगत परिव्यय–00–आयोजनागत–102–सामुदायिक विकास–91–जिला योजना–01–सीमान्त विकास खण्डों का विकास–42–अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

14– यह स्वीकृति वित्त विभाग के अशासकीय पत्र संख्या–1888/वि0अनु0–3/2004, दिनांक 30 नवम्बर, 2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक–यथोक्त।

भवदीय,

(एल0 फैनाई)
अपर सचिव।

संख्या– 72 (भा0सा0)/143–बीएडीपी–XXVI/2004 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार,उत्तरांचल, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, सहारनपुर रोड, देहरादून।

2- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तरांचल शासन।
3- उपसलाहकार (एम0एल0पी0) योजना आयोग, भारत सरकार, दिल्ली।
4- श्री बलवन्तसिंह, अनु सचिव,गृह मंत्रालय,भारत सरकार, नई दिल्ली के कार्यालय-ज्ञाप संख्या -वीएम-14/UTTR/2004-BADP-295-301 दिनांक 02 सितम्बर, 2004 के संदर्भ में ।
5- आयुक्त,कुमॉयू मण्डल,नैनीताल/गढ़वाल मण्डल,पौड़ी।
6- अपर निदेशक, पशुपालन, उत्तरांचल।
7- उप महानिरीक्षक, आई0टी0बी0पी0, सीमाद्वार, देहरादून।
8- डीविजनल आर्गेनाइजर, एस0एस0बी0, रानीखेत।
9- स्थानिक आयुक्त, उत्तरांचल, नई दिल्ली।
10- मुख्य अभियन्ता,लोक निर्माण विभाग,उत्तरांचल।
11- मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग, उत्तरांचल, देहरादून।
12- महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तरांचल, देहरादून।
13- महानिदेशक चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, उत्तरांचल, देहरादून।
14- समस्त निजी सचिव, माननीय मंत्री गण उत्तरांचल सरकार।
15- निदेशक, पर्यटन, उत्तरांचल, देहरादून।
16- निदेशक, पंचायतराज, उत्तरांचल।
17- कोषाधिकारी, उधमसिंहनगर/पिथौरागढ़/चम्पावत/चमोली/उत्तरकाशी।
18- वित्त अनुभाग-3/राजस्व अनुभाग/ग्राम्य विकास अनुभाग,उत्तरांचल शासन।
19- समन्वयक, एन0आई0सी0 सचिवालय परिसर, देहरादून ।
20- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(टीकम सिंह पंवार)
उप सचिव।

C:\Bhatt\143-Plg-BADP-04
01.12.04